

-:: आदेश ::-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक-07.05.2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-941/X-4/18/1-05(04)/2014, दिनांक- 26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा-11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा-सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के निर्माण कार्य हेतु कार्य आरम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. यह अनुमति जारी होने के एक वर्ष तक अर्थात् दिनांक-06.01.2023 तक ही वैध है।
2. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के अनुसार उक्त मार्ग में किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है।
3. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकेल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकेल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
5. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
6. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का मोटर मार्ग के समतलीकरण हेतु भ्रान में ही उपयोग किया जायेगा, जिसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
7. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन (संरक्षण), 1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 3025 /12-1 मसूरी, दिनांक- 07/01/2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश, देहरादून।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, (देहरादून), मसूरी वन प्रभाग, लाडपुर।
5. वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश में उल्लेखित अनुमति की की वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति की प्राप्ति ना होने की दशा में कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करें।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

I.T.O.C
क. 84
वेब साइट पर अपलोड करें
CCP
10/1